सेवा का अधिकार आयोग फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त से नाखुश

आयोग ने एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित सेवाओं का डाटा जुटाने और सूचना भिजवाने के दिए निर्देश

चंडीगढ़, 7 सितंबर (सवेरा ब्यूरो) : हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने नगर निगम फरीदाबाद के आयुक्त को अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की संख्या की जानकारी न होने पर नाखुशी जाहिर की है। साथ ही निगम को सभी अधिसूचित सेवाओं का डाटा जुटाने और 16 सितंबर तक सूचना भिजवाने के निर्देश दिए हैं। चाहे वे अंत्योदय सरल पोर्टल, किसी ऑनलाइन तरीके से या किसी एप के माध्यम से या फिर किसी ऑफलाइन तरीके से क्यों न मुहैया करवाई जा रही हों।

आयोग के मुख्य आयुक्त टी.सी. गुप्ता ने बताया कि 9 अगस्त को जारी पत्र के तहत स्वतः संज्ञान नोटिस की प्रतिक्रिया में ईमेल के माध्यम से 3 सितंबर को जवाब मिला। फरीदाबाद निगम आयुक्त यशपाल को उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। सबसे पहले निगम आयुक्त ने बताया कि उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जब उनसे पूछा गया कि अधिनियम के तहत कितनी सेवाएं अधिसूचित हैं तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह अधिनियम के कार्यांवयन से जुड़ी सुनवाई में अधिकारी को अधिसूचित सेवाओं की संख्या तक का पता नहीं था।

निगम सचिव ने नोटिस ठीक से पढ़ना भी नहीं समझा उचित

उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को निगम सचिव अनिल कुमार यादव की ओर से भेजे गए जवाब में सिर्फ एक सेवा की जानकारी दी गई। जबकि जानकारी सभी अधिसूचित सेवाओं बारे मांगी गई थी। इससे स्पष्ट है कि अनिल कुमार ने जवाब भेजने से पहले नोटिस को ठीक से पढ़ना भी उचित नहीं समझा। जिसके लिए डिस्पलेजर दर्ज किया गया है। इस बारे उन्हें निगम फरीदाबाद आयुक्त द्वारा अवगत करवा दिया जाएगा। गुप्ता ने बताया कि 'जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां' के साथ सेवाओं की समीक्षा शुरू की गई। जिसके लिए अधिसूचित समयसीमा चालू वर्ष के लिए 14 दिन और पिछले वर्षों के लिए 30 दिन है। हालांकि निगम आयुक्त फरीदाबाद ने बताया कि उनके पास कोई डाटा नहीं है। जब उनसे 'जलापूर्ति और सीवरेज कनेक्शन' जो केवल नगर निगम गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ही लागू होता है, बारे पूछा गया तो आयुक्त द्वारा बड़ा ही आश्चर्यजनक वक्तव्य दिया गया कि नगर निगम द्वारा पिछले दो वर्षों से कोई भी जलापूर्ति या सीवरेज कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकारियों से इस वक्तव्य को सत्यापित करवा लें। क्योंकि यह अविश्वसनीय है कि यदि कोई व्यक्ति नगर निगम के रखरखाव वाले इलाकों में जलापूर्ति या सीवरेज कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो निगम उसे यह सेवा प्रदान नहीं करेगा। परंतु आयुक्त इस पर अड़े रहे और कहा कि उनका वक्तव्य सही है।